भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1330

(दिनांक 14-12-2022 को उत्तर देने के लिए)

सीपीईएनजीआरएएमएस

1330 सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीपीईएनजीआरएएमएस पर दर्ज की गई शिकायतों की संख्या कितनी है जिसमें पेंशन में देरी, पेंशन की गलत मंजूरी और बकाया का भुगतान न करने जैसे कारण शामिल है;

(ख) 2019 से अब तक सीपीईएनजीआरएएमएस पर दर्ज की गई वर्ष-वार कितनी पेंशन शिकायतों का निपटान 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया है;

(ग) प्रारंभिक निवारण आदेश के खिलाफ दायर अपीलों की संख्या कितनी है; और

(घ) परिवार पेंशन का दावा करने हेतु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ग): महोदय, एक सारणीबद्ध विवरण निम्नानुसार है:

जारी...2/-

वित्तीय वर्ष					
	अवधि के दौरान प्राप्त कुल शिकायतें	पेंशन/कुटुंब पेंशन और अन्य सेवानिवृति हितलाभ में देरी या गलत मंजूरी	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के बकाया का भुगतान न करना	60 दिनों के बाद निपटान किया गया	अवधि के दौरान प्राप्त कुल अपील
2019-2020	39684	15983	1894	5729	-
2020-2021	49788	18748	2157	6231	215
2021-2022	62874	30999	3448	5116	2075
2022-2023 (दिनांक 6.12.2022 तक)	36785	11891	3803	1781	5082

(घ) कुटुंब पेंशन का दावा करने हेतु मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के परिवार के सदस्य द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 50 के अनुसार, मृतक सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के ऐसे बच्चे या सहोदर के मामले में, जो किसी मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त हो, कुटुंब पेंशन का दावा करने हेतु निम्न में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया नि:शक्तता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है;

(i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 के 49), दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और अधिसूचनाओं के अनुसार नि:शक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी; या

(ii) एक चिकित्सा बोर्ड जिसमें एक चिकित्सा अधीक्षक या एक प्रधानाचार्य या एक निदेशक या संस्था के प्रमुख या अध्यक्ष के रूप में उनके नामिती और दो अन्य सदस्य शामिल हो, जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति नि:शक्तता के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा, जहां तक संभव हो, बच्चे की मानसिक या शारीरिक स्थिति को यथावत उपवर्णित करेगा।

*****